कार्यालय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़

रद्दी कागजों की नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 04.01.2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में पत्रावलियों के विनिष्किरण उपरान्त एकत्रित हुई रद्दी (कमजोर रद्दी) की पुनः नीलामी की कार्यवाही खुली प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति (Open Competitive Bidding System) पर **दिनांक 20.01.2024 को सायं 04:00 बजे जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार** में की जायेगी। उक्त एकत्रित हुई रद्दी का निरीक्षण केन्द्रीय नजारत में समय 02:00 PM से 04:00 PM के मध्य किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगा सकता है :-

1. प्रत्येक बोलीकर्ता को बोली में भाग लेने हेतु **सुरक्षा धनराशि रु० 5,000/- (पाँच हजार)** नजारत अनुभाग में **केन्द्रीय नाजिर** के पास **नीलामी की तिथि को 12:00 PM से 02:00 PM** तक जमा करनी होगी। यदि बोलीकर्ता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत नहीं होती है तो नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उपरान्त सुरक्षा धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
2. रद्दी कागजों की नीलामी प्रति किलोग्राम की दर से (0.50 रू० के गुणक में) होगी एवं उच्चतम बोलीकर्ता के स्वयं के खर्चे पर वजन / तौल करना होगा।
3. रद्दी (कमजोर रद्दी) जहाँ है, जैसा है कि स्थिति में नीलाम तथा हस्तगत किया जायेगा।
4. उच्चतम / अन्तिम बोली की नीलामी की धनराशि की एक चौथाई धनराशि तत्काल जमा करनी होगी एवं शेष धनराशि बोली स्वीकृत होने के पश्चात जमा करनी होगी। यदि उच्चतम बोलीकर्ता नीलामी की धनराशि का एक चौथाई भाग तत्काल जमा नहीं करता है, तो उसकी बोली को निरस्त कर सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात ही माल उठाने दिया जायेगा।
6. 02 दिन की अवधि में यदि नीलामी की शेष धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो पूर्व में जमा की गयी सुरक्षा धनराशि एवं नीलामी की एक चौथाई धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. नीलामी स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ में निहित होगा।
8. यदि नीलामी की शर्तों के विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
9. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद अलीगढ़ में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

Sd/-

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-03
अलीगढ़।